भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *28

दिनांक 30.11.2021/ 9 अग्रहायण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

एनडीआरएफ तथा एसडीआरफ के माध्यम से आपदा राहत

***28. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:**
श्रीमती भावना गवली (पाटील):

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि (एनडीआरएफ) तथा राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरफ) की संयुक्त रूप से स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 2015 से वर्ष 2020 की अवधि के दौरान राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरफ) हेतु दरें निर्धारित की हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त दर में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या उक्त दर में वृद्धि किए जाने से संबंधित कोई प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान इस संबंध में जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (च): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>लोक सभातारांकित प्रश्न सं. *28</u>

"एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ के माध्यम से आपदा राहत" के संबंध में दिनांक 30, नवम्बर, 2021 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *28 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): जी, हां। केंद्र सरकार द्वारा किसी भयंकर आपदा प्रबंधन की स्थिति अथवा आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम, 2005 की धारा 46(1) के प्रावधान के तहत राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) की स्थापना की गई है। इसी प्रकार, उक्त अधिनियम की धारा 48(1)(क) के प्रावधान के तहत, सभी राज्य सरकारों द्वारा भी अपने संबंधित राज्य में राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) की स्थापना की गई है।

केंद्र सरकार द्वारा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अंतर्गत निधियां क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर आवंटित की जाती हैं। एनडीआरएफ की निधियों में केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण अंशदान किया जाता है, जबकि एसडीआरएफ में निधियों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है, जो सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 75:25 के अनुपात में होता है तथा पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में होता है।

एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से निधियों को जारी करना तथा निधियों से व्यय किया जाना 'एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के गठन एवं प्रशासन के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों' और मदों एवं मानदंडों द्वारा शासित किया जाता है।

(ग) से (च): जी हां। दिशानिर्देशों और मदों एवं मानदंडों में संशोधन क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद, 15वें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि के दौरान अर्थात् वर्ष 2026 तक एनडीआरएफ/एसडीआरएफ से व्यय हेतु मद और मानदंडों में संशोधन करने की प्रक्रिया एक समिति का गठन करने के साथ शुरू हो गई है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों और महाराष्ट्र राज्य समेत राज्य सरकारों के सदस्य सम्मिलित हैं। उक्त समिति, महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सुझावों सहित सभी राज्य सरकारों और अन्य स्टेकहोल्डरों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप प्रदान करने की प्रक्रिया में है।

लोक सभातारांकित प्रश्न सं. *28

पिछले पांच वर्षों के दौरान, एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार को जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	एसडीआरएफ में आवंटन			जारी किया गया केंद्रीय अंश	एनडीआरएफ
	केंद्रीय अंश	राज्य का अंश	कुल		
2016-17	1167.75	389.25	1557.00	583.875	2224.78
2017-18	1226.25	408.75	1635.00	1810.125	-
2018-19	1287.75	429.25	1717.00	1287.75	2088.59
2019-20	1352.25	450.75	1803.00	1352.25	5189.40
2020-21	3222.00	1074.00	4296.00*	3222.00	420.12

* इसमें राज्य आपदा उपशमन निधि (एसडीएमएफ) के लिए निर्धारित 20% राशि भी शामिल है।

******